छोटी देवी बनाम महबूब खान वगैरह,अपील संख्या 2018/00242, 225 आर0टी0एक्ट, आदेश दिनांक 14.08.2018.

यह अपील श्री शाबुद्दीन खान एड़वोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के आदेश दिनांक 16.07.2018, प्रकरण संख्या 53/2018 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश की गई। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील पर प्रथमतः पोषणीयता के बिन्दु पर बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस में बताया कि ऐसे अंतरिम आदेश की अपील न्यायालय हाजा में ही पोषणीय होने बाबत् कथन किया यह अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय हैं तथा न्यायालय हाजा को ऐसे आदेश की विरूद्ध अपील सुनने का पूर्ण क्षैत्राधिकार हैं।

अभिभाषक अपीलांट ने आगे बहस में बताया कि विवादित आराजी को रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पिता ने अपीलांटस को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा विक्रय कर दी गयी है तथा खरीद की दिनांक से लगातार मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं किन्तु रेस्पोडेन्टस द्वारा तथ्यों को छिपाकर उक्त वाद एवं प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया हैं। वह स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत नहीं किया है और गलत रूप से अधीनस्थ न्यायालय के अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली हैं। जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की हैं। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार किया जाकर, प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त व खातेदारी की आराजी में किसी प्रकार की मदाखलत व दखजंदाजी नहीं करें एवं ना ही आराजी मुतनाजा से बेदखल नहीं किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद ने अपने आदेश दिनांक 16.07.2018 में आगामी पेशी तक आराजी मुतनाजा के मौके की यथास्थिति बनाये रखने एवं किसी प्रकार का निर्माण नहीं करने की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की हैं। कोई आपत्ति हो तो आगामी तारीख पेशी पर पेश करने के आदेश दिये हैं जिसके विरूद्ध अप्रार्थीगण/अपीलांटस ने उक्त अपील प्रस्तुत की हैं। अभिभाषक अपीलांट द्वारा उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के अन्तरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई, अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में यह अंकित किया है कि यदि कोई आपत्ति हो तो आगामी तारीख पेशी पर पेश करें, अप्रार्थीगण/अपीलांटस ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष

प्रस्तुत की हैं। अभिभाषक अपीलांट द्वारा उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के अन्तरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई, अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में यह अंकित किया है कि यदि कोई आपत्ति हो तो आगामी तारीख पेशी पर पेश करें, अप्रार्थीगण/अपीलांटस ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी कोई आपत्ति प्रकट नहीं की और बिना प्रार्थना पत्र का जवाब दिये ही उक्त आदेश की अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की हैं। मान्नीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की फुल बैंच द्वारा दिनांक 12.04.2014 को जगदीश प्रसाद बनाम भोपाल राम वगैरह पेज संख्या 37 में यह प्रतिपादित किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम में पारित अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा एवं एक पक्षीय अन्तरिम आदेश की अपील का श्रवणाधिकार न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकार को नहीं हैं। आक्षेपित आदेश केवल आगामी तारीख पेशी तक ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है तथा यह अन्तरिम आदेश 39 नियम 3 एवं 3 ए सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत् पारित किया हैं जिसके तहत् अधीनस्थ न्यायालय को विपक्षी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देकर 30 दिवस की अवधि में उचित रूप से प्रकरण का निस्तारण किया जाना हैं।

उक्त परिप्रेक्ष्य में हस्तगत अपील कानूनी स्तर पर पोषणीय नहीं होने से कारण इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।